प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी

जमानिया-गाजीपुर

सेवा में,

परियोजना निदेशक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

गाजीपुर

पत्रांक 637 /विविध/2019-20 दिनाँक 8-11-2019

महोदय,

कृपया सासंद निधि के अन्तर्गत प्रथम किस्त की धनराशि उपभोग की जानी के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी सती स्मारक महाविद्यालय गरूवा मकसूदपुर के प्रबन्धक के संलग्न पत्र दिनाँक 01.10.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के साथ कराये गये निर्माण की फोटोग्राफ संलग्न है। निर्माण कार्य का सत्यापन इस विकास खण्ड के कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया, जिनके द्वारा संलग्न प्रपत्र पर निर्माण की पुष्टि करते हुए अगली किस्त भुगतान की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त सन्दर्भित पत्र मूल रूप में निर्माण स्थल का फोटो ग्राफ सहित संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(हरिनरायन)

खण्ड विकास अधिकारी

जमानिया-गाजीपुर

पत्रांक /विविध/2019-20 दिनाँकित

प्रतिलिपि- 1- प्राचार्य महात्मा गाँधी सती स्मारक महाविद्यालय गरूवा मकसूदपुर को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

खण्ड विकास अधिकारी

जमानिया-गाजीपुर

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर।

पत्रांकः– 513 / सां0नि0 / चेक / 2021–22 दिनांक 13 जुलाई, 2021

प्रबन्धक एवं प्राचार्य,
महात्मा गांधी सती स्मारक, महाविद्यालय,
गरूआमकसूदपुर, गाजीपुर।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पूर्व मा0 सांसद श्री मनोज सिन्हा जी लोक सभा क्षेत्र गाजीपुर के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी महोदय स्वीकृति दिनांक 05.07.2021 के क्रम में निर्माणाधीन कार्य पर द्वितीय किस्त/शेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु आपके पास चेक संख्या 052073 दिनांक 08.07.2021 मु0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) संलग्न कर भेजा जा रहा है। परियोजनावार स्वीकृत धनराशि एवं अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	परियोजना की स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)	अबतक दी गयी धनराशि (लाख रू0 में)	द्वितीय/ शेष धनराशि (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5
01	महात्मा गांधी सती स्मारक, महाविद्यालय, गरूआमकसूदपुर, गाजीपुर में कक्ष निर्माण कार्य	5.00	3.00	2.00

उपरोक्त निर्माणाधीन कार्यो पर अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तो के अनुसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

1– निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन में दिये गये मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

2– विभिन्न निर्माण कार्य हेतु उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी ई–टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 6/2018/256/78-2-2018-42 आई0टी0/2017 टीसी, दिनांक 24 अप्रैल 2018 एवं शासनादेश संख्या–10/2018/489/78-2-2018-42 आई0टी0 2017 टीसी दिनांक 26 जुलाई 2018 में दी गयी प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए कार्य कराया जाय। शासनादेशों का विचलन प्रतिकूल कार्यवाही आकर्षित करेगी।

3– निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

4– निर्माणाधीन कार्य को प्राक्कलन में दिये गये स्पेसिफिकेन्शन के अनुसार मानक गुणवत्ता के अनुसार समय से पूर्ण कराया जाय ।

5– निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं पूर्ण कार्यो की फोटोग्राफी अभिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

6– स्वीकृत कार्य पर कोई सेन्टेज चार्ज/प्रशासनिक व्यय अनुमन्य नहीं है। सांसद निधि योजना के दिशा निर्देश के विचलन की दशा में कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी तथा उनसे नियमानुसार धनराशि की वसूली की जायेगी।

7– कार्य पूर्ण करने के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है उसे 1 माह के अन्दर अभिकरण कार्यालय को वापस कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः चेक।

8.07.21

परियोजना निदेशक,
गाजीपुर।

पत्रांकः– / सा0नि0 / चेक / 2021–22 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1. पूर्व मा0 सांसद श्री मनोज सिंन्हा जी लोक सभा क्षेत्र गाजीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
गाजीपुर।

D/wardlatter.2/Pandey je/ss.